

प्रेस नोट दिनांक 16.06.2025

थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

❖ थाना मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा 25000/- रुपये के इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी के निर्देशन में आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.), अपर पुलिस अधीक्षक सदर एवं राजीव सिसोदिया, क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय गगनराज सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-231/2024 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि में वांछित/इनामिया अभियुक्त सोहराब पुत्र मो हसन निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 64 वर्ष को आज दिनांक 16.06.2025 को समय करीब 06.40 बजे ग्राम कटेसर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा बालेश्वर दास वैष्णव पुत्र श्री रामकरण दास जी वैष्णव उर्फ पीताम्बर दास निवासी म0नं0-B1/157 द्वारिकाधीश मन्दिर अस्सी शहर वाराणसी हला पता - वार्ड न- 8 मोहल्ला बुचाहेड़ा अवध बिहारी मन्दिर कोटपुतली की जयपुर राजस्थान द्वारा मौजा कटेसर थाना मुगलसराय स्थित आ0नं0 439 व 467 रकबा 21- 3/4 डि का बैनामा तीजा देवी पत्नी घनश्याम से दो लाख रुपये में दिनांक- 10-01-2008 को खरीदा था तथा समक्ष गवाहान घनश्याम पुत्र देवनरायन निवासी केदोपुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी तथा सोहराव पुत्र मो हसन निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 01-01-2008 को हुआ था जिसमें गवाहान द्वारा फर्जी चौहद्दी दिखाकर बैनामा कर दिये। वादी द्वारा दिनांक 28-03-2024 को अपनी जमीन का बाउण्ड्री कराने के लिए गया तो घनश्याम ने कहा कि जिससे आप जमीन लिये थे उसकी मृत्यु हो गयी है। अब आप को जमीन नहीं मिलेगा। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा दिये गये तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 19.06.24 को मु0अ0सं0- 231/2024 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित की गयी।

जिसमें अभियुक्त घनश्याम पुत्र देवनरायन निवासी कोदोपुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त सोहराब पुत्र मो हसन निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली वांछित चल रहा था जो 25000/- रुपया का इनामिया था। जिसे आज दिनांक 16.06.2025 को समय 6.40 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1.सोहराब पुत्र मो हसन निवासी कटेसर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली उम्र 64 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0231/2024धारा420/467/468/471/504/506 भादवि

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक गगन राज सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

उ0नि0 अभिषेक शुक्ला चौकी प्रभारी जलीलपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

का0 नजाकत थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली ।

थाना अलीनगर, चन्दौली

- ◆ अलीनगर पुलिस द्वारा राहगीर से छिनैती की घटना का सफल अनावरण.
- ◆ घटना में सम्मिलित 04 अपराधी गिरफ्तार, छिनैती की मोटरसाइकिल, नकदी बरामद
- ◆ घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा- कारतूस व चोरी की एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद

पूर्व की घटना:-

वादी प्रेमचन्द उर्फ रामभरोसे पुत्र रामदुलार निवासी सरने, ददवापर, अलीनगर चन्दौली दिनांक 13.06.2025 की रात करीब 07:30 बजे दुकान से जा रहा था कि ददवापर के बीच में पुलिया के पास चार अज्ञात लोगो द्वारा मोटरसाइकिल रोककर अवैध असलहे के बल पर घायल करके मोबाइल, बैंक पासबुक, पर्स, पैसे व TVS स्पोर्ट बाइक छिन लिया। इस तहरीर पर थाना अलीनगर मु.अ.सं. 223/25 धारा 309(6)/109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरण:-

चन्दौली:- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आदित्य लांगहे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली व अनन्त चन्द्रशेखर (आई.पी.एस.) अपर पुलिस अधीक्षक सदर व राजीव सिसौदिया क्षेत्राधिकारी PDDU नगर के पर्यवेक्षण में थाना अलीनगर की पुलिस टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व सूत्रों की सूचना पर उक्त घटना में शामिल 4 शातिर अपराधियों क्रमशः

1. कृष्ण कुमार उर्फ किशन पुत्र श्रवण कुमार नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली (उम्र 21 वर्ष)
 2. अरुण कुमार पुत्र बेचन राम नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर चन्दौली उम्र करीब 21 वर्ष
 3. सोनू यादव पुत्र स्व बच्चेलाल नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष
 4. रामबाबू यादव पुत्र स्व0 मंगल यादव नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 16.06.2025 को शाम करीब 02.20 बजे ददवापर की नहर पुलिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली से गिरफ्तार किया गया।
- गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा- कारतूस, के साथ छिनैती की मोटरसाइकिल, मोबाईल फोन, पर्स सहित नगदी रुपये तथा आधार कार्ड व पासबुक सहित चोरी की एक अन्य मोटरसाइकिल बरामद किया गया।
- बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) व 3(5) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि करते हुए, अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार चारो अभियुक्तों ने बताया कि हम चारो लोग मिलकर दिनांक 13.06.2025 को रात करीब 07:30 बजे सरने ददवापर नहर पुलिया के पास से एक व्यक्ति को कट्टे के मुठिया से घायल करके उसके सर्ट के जेब से मोबाइल तथा बैंक पासबुक व उसके पैन्ट की जेब से पर्स सहित उसके पैसे व उसकी TVS स्पोर्ट बाइक लूट लिये थे बाद मे देखे तो पर्स में कुल 1530 रुपये व उसका आधार था और जब वह व्यक्ति वाद विवाद करने लगा तो सोनू ने अपने पास लिये कट्टे की मुठिया से उसके सर पर मार दिया इतने मे वह व्यक्ति सोनू को पकडने का प्रयास किया तो सोनू ने उसे जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर दिया किन्तु वह व्यक्ति झटके से बैठ गया जिसके कारण वह बच गया और शोर मचाने लगा तब उसकी मोटर साइकिल टीवीएस स्पोर्ट्स को भी छिन लिया और अपने साथ लाई हुयी पल्सर मोटरसाइकिल जो मुगलसराय से चोरी की गई थी से चारो लोग बैठकर भाग गये। अभियुक्तों ने यह भी बताया कि हम लोग मौका पाकर छिनैती की घटना करके अपने-अपने शौक व जरूरतो को पूरा करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. कृष्ण कुमार उर्फ किशन पुत्र श्रवण कुमार नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली तथा उम्र करीब 21 वर्ष
2. अरुण कुमार पुत्र बेचन राम नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर चन्दौली उम्र करीब 21 वर्ष

3. सोनू यादव पुत्र स्व बच्चेलाल नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 22 वर्ष
4. रामबाबू यादव पुत्र स्व0 मंगल यादव नि0 जगदीशपुर भटरिया थाना अलीनगर जनपद चन्दौली उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास

मु.अ.सं. 223/25 धारा 309(6)/109(1)/ 317(2)/3(5) बीएनएस तथा 3/25 आर्म्स एक्ट की व थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगी

1. छिनैती की एक मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट
2. छिनैती की मोबाईल फोन
3. पर्स व नगदी रुपये
4. आधार कार्ड
5. पासबुक
6. चोरी की एक अन्य मोटरसाइकिल पल्सर
7. घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (सोनू यादव के पास से बरामद)

पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
2. निरीक्षक अपराध रमेश यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 राम सिंह थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
4. उ0नि0 अनन्द कुमार भार्गव चौकी प्रभारी लौंदा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
5. उ0नि0 अनिल कुमार यादव चौकी प्रभारी आलूमील थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
6. हे0का0 लालचन्द्र यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
7. हे0का0 रोशन यादव थाना अलीनगर जनपद चन्दौली
8. का0 राहुल खरवार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

◆थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा 02 अदद पिकअप वाहन से कुल 06 राशि गोवंश बरामद, 02 शातिर गो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार जनपद में गौ तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चन्द्रशेखर व क्षेत्राधिकारी सदर कृष्ण मुरारी शर्मा के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 16.06.2025 को उ0नि0 छोटेलाल राम मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम फुटिया के सर्विस लेन दो अदद पिकअप वाहन क्रमशः UP 65 GT 4842 , DL 4 CAS 4518 से कुल 06 राशि गोवंश को बरामद करते हुए 02 शातिर गो तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 154/25 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधि. 325 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ओम प्रकाश मौर्या पुत्र राम अजोर मौर्य निवासी चुरावन पुर मुढैला थाना लोहता जनपद वाराणसी
2. डब्लू यादव पुत्र चन्द्रेव यादव निवासी प्रासियामल थाना रामपुर जिला देवरिया उ0प्र0

गिरफ्तारी व बरामदगी का स्थान व समय-

एनएच 02 हाइवे पर स्थित ग्राम फुटिया सर्विस लेन दिनांक 16.06.2025 को समय करीब 11.45 बजे

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 पिकअप वाहन संख्या UP 65 GT 4842 व DL 4 CAS 4518
2. 06 राशि गोवंश (02 राशि गाय व 02 राशि बैल जीवित तथा 01-01 राशि बछड़ा व बैल मृत)
3. एक अदद मोबाइल मोबाइल

बरामदगी में पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक विन्देश्वर प्रसाद पाण्डेय- थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 छोटेलाल राम थाना सैयदराजा चन्दौली ।
3. का. मनिराम दुबे थाना सैयदराजा चन्दौली
4. का. विष्णुदत्त प्रजापति थाना सैयदराजा चन्दौली
5. का. बृजेश चौहान थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली